

पत्रांक: 7798 /खा0ग्रा0बो0/कार्मिक/टी0सी0 पत्रा0/2021-22

कार्यालय

उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड,
(कार्मिक-अनुभाग),
मुख्यालय, लखनऊ।

दिनांक: 20/12/2021

Type your text

योजनाधिकारी,
(कम्प्यूटर-अनुभाग),
खादी बोर्ड, मुख्यालय।

कृपया अपने पत्र सं0-880 दिनांक 26.11.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वर्तमान में प्रचलित उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड सेवा (द्वितीय संशोधन विनियमावली) 2021 बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु चाही गयी है।

उक्त क्रम में शासन द्वारा दिनांक 25.11.2021 को अधिसूचित उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (समूह 'क' और 'ख') सेवा (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2021 एवं उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधीनस्थ सेवा (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2021 की एक-एक फोटोप्रति पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न-उपरोक्त।

श्री प्रियंशु श्रीवर्मा
22/12/21
आपकी अपडेट


(ए0के0 शुक्ला)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(कार्मिक)



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड- (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार, 25 अक्टूबर, 2021

कार्तिक 3, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-1

संख्या 412/59-1-2021

लखनऊ, 25 अक्टूबर, 2021

अधिसूचना

स०प०नि०-75

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1960) की धारा 10 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 37 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, एतद्वारा उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (समूह "क" और "ख") सेवा विनियमावली, 2005 में संशोधन की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाता है:-

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (समूह "क" और "ख") सेवा (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2021

1-(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (समूह "क" और "ख") सेवा (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2021 कही जायेगी।

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2-उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (समूह "क" और "ख") सेवा विनियमावली, 2005, विनियम 3 का संशोधन जिसे आगे "उक्त विनियमावली" कहा गया है, में विनियम 3 में, खण्ड (ड.) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

"(ड० ड०) - "आयोग" का तात्पर्य "उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग" से है,

विनियम 6 का
संशोधन

3-उक्त विनियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विनियम 6 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान विनियम

6-आरक्षण-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त-सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम

6-आरक्षण-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार होगा।

विनियम 10 का
संशोधन

4-उक्त विनियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विनियम 10 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान विनियम

10. आयु-सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने जिस वर्ष भर्ती की जानी हो उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जायें, और पहली जुलाई को, यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जायें, 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें अभ्यर्थियों के मामले में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम

10. आयु- सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस वर्ष, जिसमें भर्ती की जानी हो, में, यदि पद 01 जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जायें तो 01 जनवरी को और यदि पद 01 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जायें तो 01 जुलाई को न्यूनतम इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और चालीस वर्ष से अधिक आयु न प्राप्त की हो :

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों, जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, के अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

विनियम 14 का
संशोधन

5-उक्त विनियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विनियम 14 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान विनियम

14-रिक्तियों का अवधारण-नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और विनियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों को दो प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापित करायगा।

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम

14-रिक्तियों का अवधारण-नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के प्रक्रम के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और विनियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।

6-उक्त विनियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विनियम 15 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान विनियम

15. सीधी भर्ती की प्रक्रिया-(1) सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए एक चयन समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे:

(एक) मुख्य कार्यपालक अधिकारी - अध्यक्ष
(दो) यदि नियुक्ति प्राधिकारी या उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है तो नियुक्ति प्राधिकारी या उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है, तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अधिकारी से निम्न एक अधिकारी, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। -सदस्य

(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो अधिकारी जिनमें से एक अल्पसंख्यक समुदाय का और दूसरा पिछड़े वर्ग का अधिकारी होगा। -सदस्य

(चार) अधिष्ठान का प्रभारी सदस्य अधिकारी जो वरिष्ठ प्रबन्धक से निम्न स्तर का न हो -सदस्य

(पांच) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट एक तकनीकी अधिकारी -सदस्य

(छ) सरकार के कार्मिक विभाग का सचिव व उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति जो उप सचिव से अनिम्न श्रेणी का हो -सदस्य

(सात) खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग के राज्य कार्यालय का एक प्रतिनिधि -सदस्य

(2) चयन समिति आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से एक प्रतियोगितात्मक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगी।

(3) लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। इस लिखित परीक्षा में सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन के प्रश्नपत्र होंगे। अभ्यर्थियों को इस परीक्षा के प्रश्न-पत्र दो प्रतियों में (एक कार्बन कापी) दिये जायेंगे जिससे अभ्यर्थी एक प्रति अपने पास रख सकें। अटकलबाजी को रोकने के लिए ऋणात्मक अंक पद्धति अपनायी जायेगी। चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु प्रश्न-पत्रों के उत्तर तथा अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समाचार-पत्रों में विज्ञापित कराये जायेंगे और उन्हें सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

चूंकि लिखित परीक्षा ली जायेगी, अतएव किसी विशिष्ट पद के लिए अपेक्षित अर्हता से उच्चतर अर्हता रखने पर कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिये जायेंगे। निम्नानुसार चयन हेतु अंको का विभाजन निम्नवत् होगा-

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित विनियम

15. सीधी भर्ती की प्रक्रिया-(1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन, आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित विहित निर्देशन पत्र में आमन्त्रित किये जायेंगे।

(2) किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह आयोग द्वारा जारी प्रवेश पत्र धारित न कर ले।

(3) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिए जाने के पश्चात् आयोग, विनियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगा, जो लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित मानक तक पहुँच सकें हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रदान किये गये अंकों को लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जायेगा।

(4) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को, जितनी वह नियुक्ति के लिए उचित समझे, सिफारिश करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या के बराबर होगी। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

स्तम्भ-1

विद्यमान विनियम

(एक) न्यूनतम अर्हकारी परीक्षा (जैसे इंटरमीडिएट) में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल प्राप्तांकों का 30 प्रतिशत अंक।

(दो) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के लिए 40 प्रतिशत अंक।

(तीन) छटनीशुदा कर्मचारियों के लिए अधिकतम 15 प्रतिशत अंक होंगे, जो प्रविर्ष की पूरी सेवा के लिए 5 अंक के आधार पर आगणित किये जायेंगे। उदाहरणार्थ यदि किसी छटनीशुदा कर्मचारी ने पूरे वर्ष की सेवा की है तो उसे 5 अंक प्राप्त होंगे और यदि दो वर्ष की सेवा की है तो उसे 10 अंक प्राप्त होंगे।

(चार) खेल-कूद के लिए 5 प्रतिशत अंक निम्न प्रकार से दिया जायेगा :-

(क) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पुरुष 5 प्रतिशत
खिलाड़ी/महिला खिलाड़ी के लिए अंक

(ख) राष्ट्रीय स्तर का पुरुष 4 प्रतिशत
खिलाड़ी/महिला खिलाड़ी के लिए अंक

(ग) राज्य स्तर के पुरुष 3 प्रतिशत
खिलाड़ी/महिला खिलाड़ी के लिए अंक

(घ) विश्वविद्यालय/महा विद्यालय/विद्यालय स्तर के पुरुष 2 प्रतिशत
खिलाड़ी/महिला खिलाड़ी के लिए अंक

(पांच) 10 प्रतिशत अंक साक्षात्कार के लिए होंगे, जिनका विभाजन निम्नवत् होगा-

(क) 4 प्रतिशत अंक विषय/सामान्य ज्ञान के लिए।

(ख) 3 प्रतिशत अंक व्यक्तित्व के लिए।

(ग) 3 प्रतिशत अंक अभिव्यक्ति की क्षमता के लिए

(छ:) लिखित परीक्षा के बाद उपर्युक्त उल्लिखित बिन्दु एक से चार तक में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के लिए एक योग्यता सूची बनायी जायेगी। तत्पश्चात् योग्यता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के लिए 4 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा।

(सात) साक्षात्कार समिति के अध्यक्ष व सभी सदस्य उपरोक्तानुसार वर्गीकरण के आधार पर अंक देंगे। साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों में साक्षात्कार समिति के सदस्यों द्वारा पृथक रूप से दिये गये अंकों को जोड़कर उनकी संगणना की जायेगी। अभ्यर्थियों द्वारा अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों को साक्षात्कार समिति को उपलब्ध नहीं कराये जायेंगे, जिससे साक्षात्कार समिति अभ्यर्थी के बारे में पूर्वधारणा न बना सके।

(आठ) साक्षात्कार के उपरान्त परन्तु चयन का परिणाम घोषित होने से पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित विनियम

स्तम्भ-1

विद्यमान विनियम

(2) यदि कोई अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया उसके दस्तावेज तथा दिये गये अंकों का निरीक्षण करना चाहता है तो निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् निरीक्षण कर सकता है। यदि कोई अभ्यर्थी दस्तावेजों की फोटोप्रति चाहता है तो वह 5.00 रुपये प्रति पृष्ठ शुल्क जमा करके उक्त फोटोप्रति प्राप्त कर सकता है।

(4) (1) यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो चयन समिति उनकी जन्मतिथि के आधार पर योग्यता सूची तैयार करेगा।

(2) प्रतीक्षा सूची में योग्यता क्रम के अनुसार नामों की कुल संख्या रिक्तियों की कुल संख्या का 25 प्रतिशत होगी। इस प्रकार चयनित अभ्यर्थियों की तैयार की गयी सूची, चयन समिति द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायेगी।

7-उक्त विनियमावली में, विनियम 20 के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, विनियम 20 का संशोधन

अर्थात्:-

"परन्तु यह कि उपरोक्त उपबन्धों के अन्वये समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली 1991, ऐसे पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति के लिये भी यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी।"

8-उक्त विनियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विनियम 21 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान विनियम

21. ज्येष्ठता-(1) एतदपश्चात् यथा उपबंधित के सिवाय, सेवा में पदों की किसी श्रेणी में नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के दिनांक से और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाये तो उस क्रम में जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायेगी।

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश में कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक से विनिर्दिष्ट किया जाय, जब से किसी व्यक्ति की मौलिक नियुक्ति की जानी हो तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति का दिनांक समझा जायेगा और अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा।

परन्तु यह और कि यदि किसी चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जायें, तो ज्येष्ठता वही होगी जो विनियम-18 के उप विनियम (2) के अधीन जारी किये गये नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उल्लिखित है।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जैसी चयन समिति द्वारा अवधारित की जाय।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित विनियम

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित विनियम

21. ज्येष्ठता- किसी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

स्तम्भ-1
विद्यमान विनियम

परन्तु सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का प्रस्ताव किये जाने पर वह विद्यमान कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारण की विधिमान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

(3) किसी एक चयन के परिणाम पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में रही हो, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया था।

(4) जहां नियुक्ति पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों ही प्रकार से यह एक से अधिक स्रोत से की जाय और स्रोतों का अपना कोटा विहित हो, वहां उनकी परस्पर ज्येष्ठता विनियम-17 के अनुसार तैयार की गयी संयुक्त सूची में, चक्रानुक्रम से उनके नाम रख कर ऐसी रीति से अवधारित की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहे, परन्तु-

(एक) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से अधिक की जाय, वहां कोटे से अधिक नियुक्त किये गये व्यक्तियों को, ज्येष्ठता के लिए उस अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में जिसमें कोटा के अनुसार रिक्तियां हो नीचे ले जाया जायेगा।

(दो) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटे से कम हो और ऐसी न भरी न गयी रिक्तियों के प्रति नियुक्तियां अनुवर्ती-वर्ष या वर्षों में की जाय, वहां इस प्रकार नियुक्त किये गये व्यक्तियों को किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नहीं मिलेगी, किन्तु ऐसे वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी, जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की जाय, तथापि उस वर्ष की संयुक्त सूची में जो इस विनियम के अधीन तैयार की जायेगी, उनके नाम सबसे ऊपर रखे जायेंगे जिसके बाद नियुक्त किये गये व्यक्तियों के नाम चक्रानुक्रम में रखे जायेंगे।

विनियम 24 का संशोधन

9-उक्त विनियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विनियम 24 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1
विद्यमान विनियम

24-दक्षतारोक पार करने का मानदण्ड-

(1) किसी व्यक्ति को दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित विनियम

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित विनियम

निकाल दिया गया

10-उक्त विनियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान परिशिष्ट-“क” के स्थान पर परिशिष्ट “क” का स्तम्भ-2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

परिशिष्ट-“क”
(विनियम 4 और 22 देखिये)

स्तम्भ-1							स्तम्भ-2						
वर्तमान परिशिष्ट							एतद्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट						
क्र० सं०	पद का नाम	वैतनमान	पदों की संख्या			नियुक्ति प्राधिकारी	क्र० सं०	पदनाम	वैतन मैट्रिक्स	पदों की संख्या			नियुक्ति प्राधिकारी
			स्थाई	अस्थाई	योग					स्थाई	अस्थाई	योग	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
समूह-‘क’ के पद							समूह-‘क’ के पद						
1	ज्येष्ठ संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी	12000-375-16500 रुपये	0	1	1	बोर्ड	1	ज्येष्ठ संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी	रु० 78800-209200 (लेवल-12)	0	1	1	बोर्ड
2 (एक)	उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी	10000-325-15200 रुपये	1	3	4	बोर्ड	2 (एक)	उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी	रु० 67700-208700 (लेवल-11)	1	4	5	बोर्ड
(दो)	उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (प्रशिक्षण)	10000-325-15200 रुपये	0	1	1	बोर्ड	(दो)	उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (प्रशिक्षण)	रु० 67700-208700 (लेवल-11)	0	1	1	बोर्ड
(तीन)	उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (विपणन)	10000-325-15200 रुपये	0	1	1	बोर्ड	(तीन)	उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (विपणन)	रु० 67700-208700 (लेवल-11)	0	1	1	बोर्ड
3	प्राचार्य, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र	10000-325-15200 रुपये	0	3	3	बोर्ड	3	प्राचार्य, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र	रु० 67700-208700 (लेवल-11)	0	3	3	बोर्ड
4	मुख्य रसायनज्ञ	10000-325-15200 रुपये	0	2	2	बोर्ड	4	मुख्य रसायनज्ञ	रु० 67700-208700 (लेवल-11)	0	2	2	बोर्ड
5	औद्योगिक परामर्शदाता	रु० 5000 संकलित	0	2	2	बोर्ड	5	निकाल दिया गया					
समूह-‘ख’ के पद (क) प्रशासनिक संवर्ग							समूह-‘ख’ के पद (क) प्रशासनिक संवर्ग						
1	विशेष कार्यपालक (कम्प्यूटर)	8000-275-13500 रुपये	0	1	1	मु.का. अ.	1	विशेष कार्यपालक (कम्प्यूटर)	रु० 56100-177500 (लेवल-10)	0	1	1	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
2 (एक)	सहायक निदेशक उद्योग (खादी विकास)	8000-275-13500 रुपये	1	0	1	मु.का. अ.	2 (एक)	सहायक निदेशक उद्योग (खादी विकास)	रु० 56100-177500 (लेवल-10)	1	0	1	मुख्य कार्यपालक अधिकारी

1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
(दो)	सहायक निदेशक उद्योग(कम्बल योजना)	8000-275-13500 रुपये	1	0	1	मु.का. अ.	(दो)	सहायक निदेशक उद्योग (कम्बल योजना)	रु0 56100-177500 (लेवल-10)	1	0	1	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(तीन)	सहायक निदेशक उद्योग (चर्म विकास योजना)	8000-275-13500 रुपये	1	0	1	मु.का. अ.	(तीन)	सहायक निदेशक उद्योग (चर्म विकास योजना)	रु0 56100-177500 (लेवल-10)	1	0	1	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(चार)	सहायक निदेशक उद्योग (हाथ कागज योजना)	8000-275-13500 रुपये	1	0	1	मु.का. अ.	(चार)	सहायक निदेशक उद्योग (हस्त निर्मित कागज योजना)	रु0 56100-177500 (लेवल-10)	1	0	1	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
3	ज्येष्ठ प्रबन्धक	8000-275-13500 रुपये	0	12	12	मु.का. अ.	3	ज्येष्ठ प्रबन्धक	रु0 56100-177500 (लेवल-10)	0	12	12	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
4	सह निबन्धक (सहकारिता)	8000-275-13500 रुपये	1	0	1	मु.का. अ.	4	सहायक निबन्धक (सहकारिता)	रु0 56100-177500 (लेवल-10)	1	0	1	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(ख) लेखा संवर्ग							(ख) लेखा संवर्ग						
	सहायक वित्तीय नियंत्रक उद्योग	8000-275-13500 रुपये	1	0	1	मु.का. अ.		सहायक वित्तीय नियंत्रक (उद्योग)	रु0 56100-177500 (लेवल-10)	1	0	1	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(ग) प्रयोगशाला संवर्ग							(ग) प्रयोगशाला संवर्ग						
	रसायनज्ञ	8000-275-13500 रुपये	0	2	2	मु.का. अ.		रसायनज्ञ	रु0 56100-177500 (लेवल-10)	0	2	2	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
अधीनस्थ समूह-'ख' के पद (क) प्रशासनिक संवर्ग							अधीनस्थ समूह-'ख' के पद (क) प्रशासनिक संवर्ग						
	प्रबन्धक (खादी तथा ग्रामोद्योग)/ ग्रामोद्योग अधिकारी (प्रथम)	6500-200-10500 रुपये	3	36	39	मु.का.अ.		प्रबन्धक (खादी तथा ग्रामोद्योग)/ ग्रामोद्योग अधिकारी (प्रथम)	रु0 44900-142400 (लेवल-7)	3	36	39	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(ख) प्रशिक्षक संवर्ग							(ख) प्रशिक्षक संवर्ग						
(एक)	प्रशिक्षक (खादी)	6500-200-10500 रुपये	0	7	7	मु.का.अ.		(एक)प्रशिक्षक (खादी)	रु0 44900-142400 (लेवल-7)	0	7	7	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(दो)	प्रशिक्षक (अखाद्य तेल एवं साबुन)	6500-200-10500 रुपये	0	6	6	मु.का.अ.		(दो)प्रशिक्षक (अखाद्य तेल एवं साबुन)	रु0 44900-142400 (लेवल-7)	0	6	6	मुख्य कार्यपालक अधिकारी

1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
(तीन)	प्रशिक्षक (रेशा)	6500- 200- 10500 रुपये	0	3	3	मु.का.अ.	(तीन)प्रशिक्षक (रेशा)	रु0 44900- 142400 (लेवल-7)	0	3	3	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	
(चार)	प्रशिक्षक (ग्रामीण तेल)	6500- 200- 10500 रुपये	0	6	6	मु.का.अ.	(चार)प्रशिक्षक (ग्रामीण तेल)	रु0 44900- 142400 (लेवल-7)	0	6	6	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	
(पांच)	प्रशिक्षक (मधमुखी पालन)	6500- 200- 10500 रुपये	0	7	7	मु.का.अ.	(पांच) प्रशिक्षक (मधमुखी पालन)	रु0 44900- 142400 (लेवल-7)	0	7	7	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	
(छः)	प्रशिक्षक (कुम्हारी)	6500- 200- 10500 रुपये	0	2	2	मु.का.अ.	(छः) प्रशिक्षक (कुम्हारी)	रु0 44900- 142400 (लेवल-7)	0	2	2	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	
(सात)	प्रशिक्षक (माचिस एवं अगरबत्ती)	6500- 200- 10500 रुपये	0	3	3	मु.का.अ.	(सात) प्रशिक्षक (माचिस एवं अगरबत्ती)	रु0 44900- 142400 (लेवल-7)	0	3	3	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	
(आठ)	प्रशिक्षक (अनाज, फसल और दाल प्रसंस्करण)	6500- 200- 10500 रुपये	0	3	3	मु.का.अ.	(आठ) प्रशिक्षक (अनाज, फसल और दाल प्रसंस्करण)	रु0 44900- 142400 (लेवल-7)	0	3	3	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	
(नौ)	प्रशिक्षक (लोहारी/ बढ़ईगिरी)	6500- 200- 10500 रुपये	0	3	3	मु.का.अ.	(नौ) प्रशिक्षक (लोहारी/ बढ़ईगिरी)	रु0 44900- 142400 (लेवल-7)	0	3	3	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	
(दस)	प्रशिक्षक (खाद्य संरक्षण)	6500- 200- 10500 रुपये	0	2	2	मु.का.अ.	(दस) प्रशिक्षक (खाद्य संरक्षण)	रु0 44900- 142400 (लेवल-7)	0	2	2	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	
(ग्यारह)	प्रशिक्षक (बांस और बैत)	6500- 200- 10500 रुपये	0	1	1	मु.का.अ.	(ग्यारह) प्रशिक्षक (बांस और बैत)	रु0 44900- 142400 (लेवल-7)	0	1	1	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	
(बारह)	प्रशिक्षक (कम्बल)	6500- 200- 10500 रुपये	0	1	1	मु.का.अ.	(बारह) प्रशिक्षक (कम्बल)	रु0 44900- 142400 (लेवल-7)	0	1	1	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	
(तेरह)	प्रशिक्षक (चर्म)	6500- 200- 10500 रुपये	0	1	1	मु.का.अ.	(तेरह) प्रशिक्षक (चर्म)	रु0 44900- 142400 (लेवल-7)	0	1	1	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	
(बीस)	प्रशिक्षक (हाथ कागज)	6500- 200- 10500 रुपये	0	1	1	मु.का.अ.	(बीस) प्रशिक्षक (हाथ निर्मित कागज)	रु0 44900- 142400 (लेवल-7)	0	1	1	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	
(ग) ताड़ गुड़ संवर्ग							(ग) गुड़/ताड़ गुड़ संवर्ग						
1	गुड़ विकास अधिकारी	6500- 200- 10500 रुपये	1	0	1	मु.का.अ.	1	गुड़ विकास अधिकारी	रु0 44900- 142400 (लेवल-7)	1	0	1	मुख्य कार्यपालक अधिकारी

1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
2	ताड़ उत्पाद विकास अधिकारी	6500-200-10500 रुपये	1	0	1	मु.का.अ.	2	ताड़ उत्पाद विकास अधिकारी	रु0 44900-142400 (लेवल-7)	1	0	1	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(घ) लेखा संवर्ग							(घ) लेखा संवर्ग						
	सहायक लेखा अधिकारी	6500-200-10500 रुपये	0	2	2	मु.का.अ.		सहायक लेखा अधिकारी	रु0 44900-142400 (लेवल-7)	0	2	2	मुख्य कार्यपालक अधिकारी

परिशिष्ट "ख" का संशोधन

11-उक्त विनियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान परिशिष्ट-"ख" के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

परिशिष्ट-"ख"
(विनियम 5 और 8 देखिये)

स्तम्भ-1				स्तम्भ-2			
वर्तमान परिशिष्ट				एतद्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट			
क्र० सं०	पद का नाम	भर्ती का स्रोत	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हता	क्र० सं०	पद का नाम	भर्ती का स्रोत	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हता
1	2	3	4	1	2	3	4
समूह-"क" के पद				समूह-"क" के पद			
1	ज्येष्ठ संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य रसायनज्ञ, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा।		1	ज्येष्ठ संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य रसायनज्ञ, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारियों, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा।	
2	(एक) उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी	मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ प्रबन्धक, सहायक वित्तीय नियंत्रक उद्योग और सहायक निदेशक उद्योग, सह निबन्धक (सहकारिता) एवं विशेष कार्यपालक (कम्प्यूटर) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा।		2	(एक) उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी	मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ प्रबन्धक, सहायक वित्तीय नियंत्रक, उद्योग और सहायक निदेशक उद्योग, सह निबन्धक (सहकारिता) एवं विशेष कार्यपालक (कम्प्यूटर), जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा।	
	(दो) उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (प्रशिक्षण)	मौलिक रूप से नियुक्त प्राचार्य क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र में से, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा।			(दो) उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (प्रशिक्षण)	मौलिक रूप से नियुक्त प्राचार्य क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, में से ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा।	
	(तीन) उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (विपणन)	मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ प्रबन्धक और सहायक निदेशक उद्योग में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा।			(तीन) उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (विपणन)	मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ प्रबन्धक और सहायक निदेशक उद्योग, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा।	

1	2	3	4	1	2	3	4
3	प्राचार्य, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र	(क) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त प्रशिक्षक में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा। (ख) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	अनिवार्य-1-स्नातक उपाधि, 2-सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थाओं का प्रबन्ध या प्रशासन का पांच वर्ष का अनुभव। अधिमानी अर्हता-1-उद्योगों को प्रशिक्षण और ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र के संगठित करने और स्थापित करने में मार्गदर्शन प्रदान करने की योग्यता, 2- कारीगरों को प्रशिक्षण और उद्योग स्थापित करने की योग्यता 3-व्यवसाय प्रशासन या प्रबन्धन में स्नातकोत्तर उपाधि।	3	प्राचार्य, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र	(क) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त प्रशिक्षक, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा। (ख) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	अनिवार्य अर्हता-1-स्नातक उपाधि, 2-सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थाओं में प्रबन्धन या प्रशासन का पांच वर्ष का अनुभव। अधिमानी अर्हता-1- उद्योगों को प्रशिक्षण और ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र के संगठित करने और स्थापित करने में मार्गदर्शन प्रदान करने की योग्यता, 2- कारीगरों को प्रशिक्षण और उद्योग स्थापित करने की योग्यता 3-व्यवसाय प्रशासन या प्रबन्धन में स्नातकोत्तर उपाधि।
4	मुख्य रसायनज्ञ	मौलिक रूप से नियुक्त रसायनज्ञों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा।		4	मुख्य रसायनज्ञ	मौलिक रूप से नियुक्त रसायनज्ञों, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा।	
5	औद्योगिक परामर्शदाता	सीधी भर्ती द्वारा	1-स्नातक उपाधि, 2-सम्बन्धित विशिष्टता के क्षेत्र में प्रशासनिक स्तर पर डिजाइनिंग, उत्पादन, परामर्श, अनुसंधान विकास और उत्पादन कार्य में मार्गदर्शन एवं उद्योगों की स्थापना में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव।	5		निकाल दिया गया	
समूह-"ख" के पद (क) प्रशासनिक संवर्ग				समूह-"ख" के पद (क) प्रशासनिक संवर्ग			
1	विशेष कार्याधिकारी (कम्प्यूटर)	सीधी भर्ती द्वारा	1-किसी मान्यता प्राप्त सरकारी संस्था से कम्प्यूटर अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि, गणित में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान में एक वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा 2-कम्प्यूटर कार्य का एक वर्ष का अनुभव।	1	विशेष कार्याधिकारी (कम्प्यूटर)	सीधी भर्ती द्वारा	1-किसी मान्यता प्राप्त सरकारी संस्था से कम्प्यूटर अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि अथवा 1- गणित में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान में एक वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा 2-कम्प्यूटर कार्य का एक वर्ष का अनुभव

1	2	3	4	1	2	3	4
						(1) प्रशासनिक अधिकारी (लिपिकीय संवर्ग) द्वारा एक, तथा (2) गुड़ विकास अधिकारी, ताड़ उत्पाद विकास अधिकारी एवं वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1 द्वारा एक पद से अधिक पदों को धारित नहीं किया जायेगा।	
4	सह निबन्धक (सहकारिता)	मौलिक रूप से नियुक्त प्रबन्धक (खादी तथा ग्रामोद्योग) ग्रामोद्योग अधिकारी (प्रथम) (सहकारिता प्रशिक्षित) जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा।		4	सहायक निबन्धक (सहकारिता)	मौलिक रूप से नियुक्त प्रबन्धक (खादी तथा ग्रामोद्योग)/ ग्रामोद्योग अधिकारी (प्रथम), जो स्नातक उपाधि धारित करते हों, तथा जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा।	
(ख) लेखा संवर्ग				(ख) लेखा संवर्ग			
	सहायक वित्तीय नियंत्रक उद्योग	मौलिक रूप से नियुक्त सहायक लेखा अधिकारी में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा।			सहायक वित्तीय नियंत्रक उद्योग	मौलिक रूप से नियुक्त सहायक लेखा अधिकारियों, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा।	
(ग) प्रयोगशाला संवर्ग				(ग) प्रयोगशाला संवर्ग			
	रसायनज्ञ	सीधी भर्ती द्वारा	अनिवार्य योग्यता—(क) कार्बनिक रसायन विज्ञान के साथ परास्नातक उपाधि, (ख) किसी भी प्रयोगशाला में तीन वर्ष का रसायनिक विश्लेषण (खाद्य पदार्थ जैसे शहद, तेल, मसाले आदि) के अनुभव को वरीयता। 1—गुणवत्ता नियंत्रण में विशेष प्रशिक्षण, 2—रासायनिक विश्लेषण में 5 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव		रसायनज्ञ	सीधी भर्ती द्वारा	अनिवार्य अर्हता— 1—कार्बनिक रसायन विज्ञान में एम0एस0सी0 2—किसी प्रयोगशाला में न्यूनतम तीन वर्ष का रसायनिक विश्लेषण (खाद्य पदार्थ यथा शहद, तेल, मसाले आदि) में अनुभव। वरीयता— (1) गुणवत्ता नियंत्रण में विशेष प्रशिक्षण (2) रासायनिक विश्लेषण में पांच वर्ष या उससे अधिक का अनुभव

1	2	3	4	1	2	3	4
(क) प्रशासनिक संवर्ग				(क) प्रशासनिक संवर्ग			
1	प्रबन्धक (खादी तथा ग्रामोद्योग) / ग्रामोद्योग अधिकारी (प्रथम)	(क) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (ख) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ग्रामोद्योग अधिकारी श्रेणी (2) और कार्यालय अधीक्षक (प्रथम), वैयक्तिक सहायक, प्रदर्शनी अधिकारी, कारबारी व्यवस्थापक, आफिसर इंचार्ज (प्रशिक्षण एवं लेखा), क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (लेखा) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा।	(क) स्नातक उपाधि, (ख) खादी ग्रामोद्योग आयोग या इससे प्रायोजित संस्थाओं से खादी ग्रामोद्योग का 10 मास का प्रशिक्षण।	1	प्रबन्धक (खादी तथा ग्रामोद्योग) / ग्रामोद्योग अधिकारी (प्रथम)	(क) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (ख) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ग्रामोद्योग अधिकारी (द्वितीय), सहायक विकास अधिकारी (प्रथम), ज्येष्ठ औद्योगिक सहकारी निरीक्षक, उत्पादन अधीक्षक (हस्त निर्मित कागज-कालपी), व्यवस्थापक (कम्बल) क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (चर्म), प्रदर्शनी अधिकारी, कारबारी व्यवस्थापक, प्रमारी अधिकारी (प्रशिक्षण एवं लेखा), जो स्नातक उपाधि धारित करते हों तथा जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा।	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष-अर्हता। अधिमानी अर्हता-व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि।
(ख) प्रशिक्षक संवर्ग				(ख) प्रशिक्षक संवर्ग			
1	प्रशिक्षक (खादी)	सीधी भर्ती द्वारा	1-स्नातक उपाधि, 2-खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की प्रायोजित संस्थाओं से पर्यवेक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित या राजकीय संस्थान से ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा।	1.	प्रशिक्षक (खादी)	सीधी भर्ती द्वारा	बी0टेक0/बी0ई0 टेक्सटाइल इंजीनियरिंग
2	प्रशिक्षक (अखाद्य तेल एवं साबुन)	सीधी भर्ती द्वारा	1-विज्ञान में स्नातक उपाधि, 2-खादी ग्रामोद्योग आयोग की प्रायोजित संस्थाओं से पर्यवेक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित या राजकीय संस्थान से ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा।	2	प्रशिक्षक (अखाद्य तेल एवं साबुन)	सीधी भर्ती द्वारा	बी0टेक0/बी0ई0 केमिकल इंजीनियरिंग
3	प्रशिक्षक (रेशा)	सीधी भर्ती द्वारा	1-विज्ञान में स्नातक उपाधि, 2-खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की प्रायोजित संस्थाओं से पर्यवेक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित या राजकीय संस्थान से ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा।	3	प्रशिक्षक (रेशा)	सीधी भर्ती द्वारा	बी0टेक0/बी0ई0 डिजाइन डेवलपमेंट और उत्पाद विकास अथवा डिजाइन डेवलपमेंट (निफ्ट/सिड) में स्नातक उपाधि

1	2	3	4	1	2	3	4
4	प्रशिक्षक (ग्रामीण तेल)	सीधी भर्ती द्वारा	1—विज्ञान में स्नातक उपाधि, 2—खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की प्रायोजित संस्थाओं से पर्यवेक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित या राजकीय संस्थान से ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा।	4	प्रशिक्षक (ग्रामीण तेल)	सीधी भर्ती द्वारा	बी०टेक०/बी०ई० फूड टेक्नोलॉजी अथवा एम०एस०सी० फूड टेक्नोलॉजी
5	प्रशिक्षक (मधुमक्खी पालन)	सीधी भर्ती द्वारा	1—जीव विज्ञान सहित विज्ञान में स्नातक उपाधि या कृषि विज्ञान में स्नातक उपाधि, 2—खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रायोजित संस्थाओं से ट्रेड में पर्यवेक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित या राजकीय संस्थान से ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा।	5	प्रशिक्षक (मधुमक्खी पालन)	सीधी भर्ती द्वारा	एम०एस०सी० कीट विज्ञान
6	प्रशिक्षक (कुम्हारी)	सीधी भर्ती द्वारा	1—स्नातक उपाधि, 2—खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रायोजित संस्थाओं से ट्रेड में संगठक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित या राजकीय संस्थान से सिरेमिक ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा।	6	प्रशिक्षक (कुम्हारी)	सीधी भर्ती द्वारा	ललित कला में स्नातक और ललित कला में एम०ए० उपाधि धारक को अधिमान प्रदान किया जायेगा
7	प्रशिक्षक (माचिस एवं अगरबत्ती)	सीधी भर्ती द्वारा	1—रसायन विज्ञान के साथ विज्ञान में स्नातक उपाधि, 2—खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रायोजित संस्थान से ट्रेड में पर्यवेक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित या राजकीय संस्थान से ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा।	7	प्रशिक्षक (माचिस एवं अगरबत्ती)	सीधी भर्ती द्वारा	बी०टेक०/बी०ई० केमिकल इंजीनियरिंग

1	2	3	4	1	2	3	4
8	प्रशिक्षक (अनाज, फसल और दाल प्रसंस्करण)	सीधी भर्ती द्वारा	1—स्नातक उपाधि, 2—खादी ग्रामोद्योग आयोग की प्रायोजित संस्थाओं से ट्रेड में पर्यवेक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित या राजकीय संस्थान से ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा।	8	प्रशिक्षक (अनाज, फसल और दाल प्रसंस्करण)	सीधी भर्ती द्वारा	बी०टेक०/बी०ई० फूड टेक्नोलॉजी अथवा फूड टेक्नोलॉजी में एम०एस०सी०
9	प्रशिक्षक (लोहारी/ बढ़ईगीरी)	सीधी भर्ती द्वारा	1—स्नातक उपाधि, 2—खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रायोजित संस्थाओं से ट्रेड में पर्यवेक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित या राजकीय संस्थान अथवा पालीटेक्निक से ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा।	9	प्रशिक्षक (लोहारी/ बढ़ईगीरी)	सीधी भर्ती द्वारा	बी०टेक०/बी०ई० मैकेनिकल इंजीनियरिंग
10	प्रशिक्षक (खाद्य संरक्षण)	सीधी भर्ती द्वारा	1—विज्ञान में स्नातक उपाधि, 2—खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रायोजित संस्था से ट्रेड में 6 माह का प्रशिक्षण अथवा राजकीय संस्थान से ट्रेड में डिग्री/ डिप्लोमा।	10	प्रशिक्षक (खाद्य संरक्षण)	सीधी भर्ती द्वारा	बी०टेक०/बी०ई० फूड टेक्नोलॉजी अथवा फूड टेक्नोलॉजी में एम०एस०सी०
11	प्रशिक्षक (बांस और बेंत)	सीधी भर्ती द्वारा	1—विज्ञान में स्नातक उपाधि, 2—खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रायोजित संस्था से ट्रेड में पर्यवेक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित या राजकीय संस्थान से ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा।	11	प्रशिक्षक (बांस और बेंत)	सीधी भर्ती द्वारा	उत्पाद विकास (निड अथवा निपट) में स्नातक
12	प्रशिक्षक (कम्बल)	सीधी भर्ती द्वारा	1—स्नातक उपाधि, 2—खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रायोजित संस्था से ट्रेड में पर्यवेक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित या राजकीय संस्थान से ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा।	12	प्रशिक्षक (कम्बल)	सीधी भर्ती द्वारा	बी०टेक०/बी०ई० टेक्सटाइल इंजीनियरिंग

1	2	3	4	1	2	3	4
13	प्रशिक्षक (घर्म)	सीधी भर्ती द्वारा	1—स्नातक उपाधि 2—खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रायोजित संस्था से ट्रेड में पर्यवेक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित या राजकीय संस्थान से ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा।	13.	प्रशिक्षक (घर्म)	सीधी भर्ती द्वारा	बी०टेक०/बी०ई० (लेदर टेक्नोलॉजी)
14	प्रशिक्षक (हाथ कागज)	सीधी भर्ती द्वारा	1—स्नातक उपाधि 2—खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रायोजित संस्था से ट्रेड में पर्यवेक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित या राजकीय संस्थान से ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा।	14.	प्रशिक्षक (हस्त निर्मित कागज)	सीधी भर्ती द्वारा	बी०टेक०/बी०ई० (पल्प एण्ड पेपर टेक्नोलॉजी)
(ग) ताड़गुड़ संवर्ग				(ग) गुड़ / ताड़गुड़ संवर्ग			
(एक) गुड़ विकास अधिकारी	मौलिक रूप से नियुक्त क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (गुड़) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा।			(एक) गुड़ विकास अधिकारी	मौलिक रूप से नियुक्त क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (गुड़), जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा।		
(दो) ताड़ उत्पाद विकास अधिकारी	मौलिक रूप से नियुक्त शोध रसायनज्ञ (ताड़ उत्पाद) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा।			(दो) ताड़ उत्पाद विकास अधिकारी	मौलिक रूप से नियुक्त शोध रसायनज्ञों (ताड़ उत्पाद), जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा।		
(घ) लेखा संवर्ग				(घ) लेखा संवर्ग			
सहायक लेखा अधिकारी	मौलिक रूप से नियुक्त क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (लेखा) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा।			सहायक लेखा अधिकारी	मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ लेखा परीक्षकों, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा।		

आज्ञा से,
नवनीत सहगल,
अपर मुख्य सचिव।